

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 750] No. 750] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2015/चैत्र 19, 1937

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2015/CHAITRA 19, 1937

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2015

का.आ. 978(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

अनुसूची

(1)	(2)	(3)
"25	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. २बी, (बर्दवान किमी ०.०० से किमी १०५.८६ मोल्लारपुर), सं. ३१	पश्चिम बंगाल
	[किमी 447.000 से किमी 470.000 और किमी 476.150 से किमी 551.00 (डलकोला	राज्य सरकार"
	से गोशपुकुर, सिलीगुड़ी के निकट) तक खंड को छोड़कर], सं. 31ए (सेवोक – रांगपो	

1624 GI/2015 (1)

खंड), सं. 31सी [िकमी 228.00 (सलसलाबाड़ी) से किमी 254.500 (संकोश) तक खंड को छोड़कर], सं. 31डी [(नई रारा सं. 27) (गोशपुकुर से फुलबारी से गोशाला मोड़ से मोयनागुड़ी से धूपगुड़ी से फलकाता चौपाटी से सोनापुर से सलसाबाड़ी, कुल लंबाई 154.854 किमी)], सं. 32, सं. 34 [िकमी 31.00 (बारासात) से किमी 452.70 (इलकोला) तक खंड को छोड़कर], सं. 60 [खड़गपुर से रानीगंज तक खंड और पांडेश्वरा – दुअराजपुर – सूरी को जोड़ते हुए रानीगंज के निकट रारा-2 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर और मोरेग्राम के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 35, सं. 55, 60ए और सं. 117 [िकमी 0.557 से किमी 7.105 तक (कोना एक्सप्रेस मार्ग) और किमी 22.76 से किमी 137.68 (जोका से बक्खाली तक)], सं. 80, सं. 81, नई रारा सं. 114ए, नई रारा सं. 116बी, नई रारा सं. 131ए, नई रारा सं. 10 [इंडो/बांगलादेश सीमा-फुलबाड़ी – सिलीगुड़ी (शिबमंदिर, मेडिकल स्टोर) खंड], नई रारा सं. 317ए, (भूटान – भारत सीमा से हासीमारा), नई रारा सं. 327बी (भारत – नेपाल सीमा पर मेची नदी से पानी टंकी मार्किट रारा 31सी पर समाप्त होने वाला), नई रारा सं. 512और नई रारा सं. 717 (मैनागुड़ी – चांगराबंधा – इंडो/बांगलादेश सीमा खंड) के उतने भाग जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/18/2013-पीएंडएम (पार्ट)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पणः मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096(अ), तारीख ४ अगस्त, २००५ द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. २५४(अ), २८ जनवरी, २०१५ द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2015

S.O. 978(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and in supersession to all earlier orders/Notifications relating to the entrustment of NH 31A in the State of West Bengal, the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1) (2) (3)

"25 National Highways No. 2B (Burdwan 0.00 km to Mollarpur 105.86 km), No.31 [(excluding from Km. 447.000 to Km. 470.000 and from Km. 476.150 to Km. 551.00 (Dalkhola to Ghospukur near Siliguri)], No. 31A (Sevoke-Rangpo section), No. 31C [excluding from Km. 228.00 (Salsalabari) to Km. 254.500 (Sankosh)], No. 31D [(new NH No. 27)(Ghoshpukur to Fulbari to Gosala More to Moynaguri to Dhupguri to Falakata Chowpathi to Sonapur to Salsalabari, total length 154.854 km)], No. 32,

[भागा।-खण्ड3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

No. 34 (excluding from Km.31.00 (Barrasat) to Km. 452.70 (Dalkhola), No. 60 [portion from Kharagpur to Raniganj and the highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur-Suiri-Rampurhat-Nalhati and terminating at its junction with NH 34 near Moregram], No.35, No.55, No.60A and No.117 [from Km. 0.557 to Km. 7.105 (Kona Expressway) and Km.22.76 to Km.137.68 (from Joka to Bakhali)], No.80, No.81, new National Highway No. 114 A, new National Highway No. 116B, new National Highway No. 131A, new National Highway No. 10 [Indo/Bangladesh border-Fulbari-Siliguri (Shibmandir, Medical More) section)], new National Highway No. 327B (India-Nepal border at Mechi River to Panitanki Market terminating at NH 31 C), new NH No. 512 and new National Highway No. 717 (Mainaguri-Changrabandha- Indo/Bangladesh border section) as are situated within the State of West Bengal.

[F. No. NH-14013/18/2013-P&M (Pt)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 254(E), dated the 28th January, 2015.